

कार्यालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

क्रमांक: न्याय/कोरोना/2020/ 32022

दिनांक 02 मई, 2020

:: आदेश ::


भीलवाड़ा जिले में कोविड-19, नोवल कोरोना वायरस के संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने से कोरोना वायरस के संक्रमण से जिले के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोक शांति को खतरा होने के कारण भीलवाड़ा जिले की राजस्व सीमा (शहरी एवं ग्रामीण) क्षेत्र में भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत दिनांक 20/03/2020 से निषेधाज्ञा लागू की गयीं हैं एवं सम्पूर्ण जिला लॉक डाउन हैं।

"The Disaster Management Act, 2005" की धारा 30 व 34 तथा नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा "The Rajasthan Epidemic Diseases Act, 1957" की द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत उक्त अधिनियम की धारा 2 के तहत आदेश दिये जाते हैं कि कोविड-19 नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए भिन्न-भिन्न श्रेणियों यथा निकट सम्पर्क, संक्रमित क्षेत्रों की यात्रा आदि, वाले व्यक्तियों को होम क्वारंटाईन अथवा स्टेट क्वारंटाईन करने के संदर्भ में सामान्यतः प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी -

1.	क्वारंटाईन होने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों से विकल्प पूछा जावेगा एवं उनके द्वारा स्टेट क्वारंटाईन का विकल्प चुनने की स्थिति में उन्हें आवश्यक रूप से स्टेट क्वारंटाईन में भेजा जायेगा।
2.	होम क्वारंटाईन का विकल्प चुनने पर निम्न स्थिति में ही अनुमति दी जावेगी -
1.	संबंधित व्यक्ति/परिवार के मकान पर्याप्त रूप से बड़ा और हवादार होना आवश्यक हैं।
2.	ऐसे मकान में पर्याप्त संख्या में शौचालय एवं स्नानघर होना आवश्यक हैं।
3.	क्वारंटाईन होने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी सभी प्राटोकॉल/आदेश/एडवाइजरी का आवश्यक रूप से पालना किया जाना आवश्यक होगा।
4.	ऐसे व्यक्ति के द्वारा होम क्वारंटाईन का उल्लंघन नहीं किये जाने की सहमति एवं जमानत - मुचलका निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जावेगा, साथ ही उसके कोई दो निकटतम पड़ोसियों/ निकट निवासरत रिश्तेदार/प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा भी उनकी जिम्मेदारी ली जाकर जमानत भरा जाना आवश्यक हैं।
5.	उक्त जमानती, ऐसे परिवार की सभी आकस्मिक तथा नियमित आवश्यकताओं/व्यवस्थाओं का उत्तरदायित्व लेगे। पड़ोसी उक्त समस्त व्यवस्थाएं करते समय आवश्यक सोशल डिस्टेंसिंग के प्रावधानों की अनुपालना भी बंधपत्र में शर्त के रूप में आश्वस्त करेगा।
6.	ऐसे क्वारंटाईन हो रहे परिवार की जानकारी पास-पड़ोस एवं मौहल्ले के व्यक्तियों को दी जावेगी, ताकि उल्लंघन की स्थिति में वह शिकायत कर सके। क्वारंटाईन होने वाले व्यक्ति/परिवार को इस संबंध में पूर्ण सहमति प्रदान करना आवश्यक होगा।

7.	होम क्वारंटाईन में रह रहे व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा उल्लंघन करने संबंधित शिकायत जिला स्तर पर स्थापित वॉर रूम के दूरभाष नम्बर 01482-232607 पर की जा सकेगी। शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जायेगी।
8.	ऐसी कोई शिकायत सही पाये जाने की दशा में उस व्यक्ति/परिवार को आवश्यक रूप से स्टेट क्वारंटाईन में भेजा जावेगा। साथ ही "The Disaster Management Act, 2005" की धारा 51 व 54 तथा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अन्तर्गत आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जायेगा, जिसमें दो वर्ष तक सजा का प्रावधान है।
3.	होम क्वारंटाईन अथवा स्टेट क्वारंटाईन किये जाने के संदर्भ में जिला प्रशासन/चिकित्सा विभाग के संबंधित अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।
4.	उक्त बंधपत्र/प्रतिभूति पत्र हस्ताक्षरित करने के लिए नगर परिषद के समस्त स्वच्छता निरीक्षक, चिकित्सा विभाग के चिकित्सा अधिकारी एवं पुलिस विभाग के उप निरीक्षक स्तर या उससे वरिष्ठ अधिकारी सक्षम होंगे।


आदेश की सभी संबंधित द्वारा सख्ती से पालना की जावे।


(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं –

1. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर
2. अति० मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. अति० मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. संभागीय आयुक्त, अजमेर
5. महानिरीक्षक, पुलिस, अजमेर रेंज, अजमेर
6. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश के उल्लंघन की शिकायत प्राप्त होने पर, तत्काल जांच करवाएं तथा सही पाये जाने पर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करावे।
7. अति० जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), भीलवाड़ा
8. अति० जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (शहर), भीलवाड़ा
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा (प्रभारी क्वारंटाईन सेन्टर) को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि क्वारंटाईन सेन्टर में रह रहे व्यक्तियों को इस आदेश के संबंध में अवगत करावे।
10. प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग, भीलवाड़ा
11. प्रभारी अधिकारी एवं ऑल ओवर इंचार्ज, वॉर रूम, भीलवाड़ा को निर्देशानुसार तत्काल कार्यवाही एवं पालना सुनिश्चित कराने हेतु।
12. प्रभारी अधिकारी एवं ऑल ओवर इंचार्ज, नियंत्रण कक्ष, भीलवाड़ा
13. समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
14. श्री राजेश सुवालका, आरएएस प्रोबेशनर, सहायक कलक्टर, माण्डल
15. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा
16. प्राचार्य, राजमाता विजयाराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज, भीलवाड़ा
17. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, महात्मा गांधी चिकित्सालय, भीलवाड़ा
18. आयुक्त, नगर परिषद, भीलवाड़ा

19. जिला रसद अधिकारी, भीलवाड़ा
20. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, भीलवाड़ा
20. समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
21. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति, जिला भीलवाड़ा
22. समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, जिला भीलवाड़ा
23. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, भीलवाड़ा को भेजकर लेख हैं कि उक्त आदेश का समाचार पत्रो, मिडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावे तथा मिडिया कवरेज में प्रमुखता दी जावे।
24. अति० निजी सचिव, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
25. प्रशासनिक अधिकारी, जिला कार्यालय भीलवाड़ा
26. प्रभारी, कोरोना सर्वे प्रकोष्ठ को भेजकर निर्देशित किया जाता हैं कि उक्त संबंधी आवश्यक सूचनाएं निर्धारित प्रारूप में सभी संबंधित से प्राप्त करा, प्रतिदिन की संकलित सूचना अधो-हस्ताक्षरकर्ता के सक्षम प्रस्तुत करावे।


जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा

:: बंध-पत्र ::

मैं/हम

पुत्र श्री

आयु वर्ष निवासी

"The Rajasthan Epidemic Diseases Act, 1957" एवं "The Disaster Management Act, 2005" के प्रावधानों के तहत क्वारंटाईन के अधीन रहने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मैं/हम स्वयं को निम्न लिखित शर्तों की पालना करने हेतु आबद्ध करता हूँ / करते हैं तथा इसकी पालना नहीं करू अथवा गलती करू तो मेरी 50,000- रूपये (अक्षरे पचास हजार रूपये) की राशि राज्य सरकार को समपहृत हो जायेगी।

1.	मैं स्वेच्छा से अपने परिवार सहित होम क्वारंटाईन में जिला प्रशासन/चिकित्सा विभाग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक रहने के लिए सहमत हूँ।
2.	मेरा घर पर्याप्त रूप से बड़ा व हवादार है। इसमें होम क्वारंटाईन के लिये निर्धारित प्रोटोकॉल/निर्देशों/शर्तों की पालना किया जाना संभव है, जिसे मेरे द्वारा सभी व्यक्तियों द्वारा स्पष्ट रूप से समझ लिया गया है।
3.	मेरे पड़ोसी जिनके द्वारा उत्तरदायित्व लिया गया है, मेरे घर की आवश्यक जरूरतों की पूर्ति हेतु उत्तरदायी रहेगे तथा इस विषय में प्रशासन से किसी प्रकार की अन्य व्यवस्था की मांग नहीं की जावेगी।
4.	पड़ोसी द्वारा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति किये जाते समय सोशल डिस्टेंसिंग की पूर्ण पालना की जावेगी तथा किसी भी दशा में हम किसी बाहरी व्यक्ति के सीधे सम्पर्क में नहीं आयेगे।
5.	मेरे द्वारा होम क्वारंटाईन के लिए निर्धारित सभी शर्तों/प्रोटोकॉल/निर्देशों की पूर्ण सख्ती से पालना की जावेगी। मैं इसके उल्लंघन की दशा में होने वाली विधिक कार्यवाहियों से भली-भांति अवगत हूँ।
6.	मुझे क्वारंटाईन किये जाने संबंधी जानकारी जिसमें हम सभी का पूरा नाम, पता क्वारंटाईन अवधि आदि की जानकारी मेरे पड़ोसियों, मौहल्ले वासियों तथा ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जिसे प्रशासन आवश्यक समझता है, के साथ साझा की जा सकेगी। इस विषय में हमारे द्वारा कभी कोई आपत्ति दर्ज नहीं की जावेगी।
7.	भविष्य में होम क्वारंटाईन/स्टेट क्वारंटाईन/चिकित्सकीय परीक्षण/प्रशासनिक आवश्यकता की दृष्टि से जो भी निर्देश/आदेश प्रदान किये जायेगे, हमारे द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाकर पालना की जावेगी।
8.	मैं/हम "The Rajasthan Epidemic Diseases Act, 1957" एवं "The Disaster Management Act, 2005" तथा भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन विधिक प्रावधानों एवं पालन किये जाने वाले दायित्वों से अवगत हूँ / है।
9.	हम यह अच्छी तरह समझते हैं कि सारे आदेश/निर्देश हमारे तथा समाज के लोक स्वास्थ्य की रक्षा तथा कोविड-19, नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण को अवरुद्ध करने के लिए जारी किये गये हैं। हम इनकी स-हर्ष पालना से सहमत हैं।

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर तस्दीक कर्ता अधिकारी का नाम -
निवासी -

:: प्रतिभूति पत्र ::

श्री पुत्र श्री
आयु वर्ष निवासी
को "The Rajasthan Epidemic Diseases Act, 1957" एवं "The Disaster Management Act, 2005" के प्रावधानों के तहत क्वारंटाईन में रहने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपेक्षा किए जाने पर स्वयं के आवास/घर में क्वारंटाईन में रहने के विकल्प का चयन करने एवं इस हेतु बंधपत्र को निष्पादित किया गया है।

..... में पुत्र श्री
आयु वर्ष निवासी
उक्त श्री पुत्र श्री
निवासी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ एवं इनका निकटतम पड़ोसी हूँ। इनके द्वारा उक्त बंधपत्र में दिये गये शर्तों की पालना हेतु प्रतिभूति देने हेतु स्वेच्छा से सहमत हुआ हूँ तथा स्वयं को आबद्ध करता हूँ कि उक्त बंधपत्र एवं इस प्रतिभूति पत्र निम्न लिखित शर्तों की पालना में विफलता पाये जाने पर मेरी 25,000- रूपये (अक्षरों पच्चीस हजार रूपये) की राशि राज्य सरकार को समपहृत हो जायेगी।

1.	मेरे द्वारा आवश्यक जरूरतों की पूर्ति किए जाते समय सोशल डिस्टेंसिंग की पूर्ण पालना की जायेगी तथा किसी भी दशा में क्वारंटाईन व्यक्ति किसी बाहरी व्यक्ति के सीधे सम्पर्क में नहीं आयेगे।
2.	मेरे द्वारा होम क्वारंटाईन के लिए निर्धारित शर्तों/प्रोटोकॉल/दिशा-निर्देशों की पूर्ण सख्ती से पालना की जाएगी। मैं इसके उल्लंघन की दशा में होने वाली विधिक कार्यवाहियों से भली-भांति अवगत हूँ।
3.	भविष्य में क्वारंटाईन/स्टेट क्वारंटाईन/चिकित्सकीय परीक्षण/प्रशासनिक आवश्यकता की दृष्टि से जो भी आदेश/निर्देश प्रदान किए जायेंगे, हमारे द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाकर पालना की जावेगी।
4.	मैं "The Rajasthan Epidemic Diseases Act, 1957" एवं "The Disaster Management Act, 2005" तथा भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन विधिक प्रावधानों एवं पालन किए जाने वाले दायित्वों से अवगत हूँ।
5.	मैं यह अच्छी तरह समझता हूँ कि सभी निर्देश हमारे तथा समाज के लोक स्वास्थ्य की रक्षा तथा कोविड-19, नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण को अवरुद्ध करने के लिए जारी किए गए हैं। हम इनकी स-हर्ष पालना करने हेतु सहमत हैं।
6.	उक्त व्यक्ति/परिवार, जिसके लिए मैं प्रतिभू हूँ, इनके द्वारा बंधपत्र की किसी भी शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर तुरन्त सूचना प्रशासन को दिये जाने हेतु प्रतिबद्ध हूँ।

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर प्राधिकृत अधिकारी का नाम -
निवासी -

:: नोटिस ::

:: होम क्वारंटाईन किए गए व्यक्ति के विषय में सूचना ::

इस नोटिस के जरिये आपको सूचित किया जाता है कि आपके पड़ोस/मौहल्ले में रहने वाले श्री
पुत्र श्री निवासी
..... को घर में रहने वाले सभी सदस्यो सहित दिनांक से तक होम क्वारंटाईन किया गया है, जिसके तहत इस अवधि में इनका घर से बाहर आना तथा किसी बाहरी व्यक्ति को इनके घर के अन्दर जाना पूर्णरूप से प्रतिबंधित है।

आप एक जागरूक नागरिक के तौर पर इसका उल्लंघन होते देखे तो कृपया दूरभाष नम्बर 01482-232607 पर सूचित करे। साथ ही यदि संभव हो तो ऐसे उल्लंघन का विडियो भी बना सकते है, जिससे कि ऐसे अपराध को प्रमाणित करने में सुविधा हो।

आपके द्वारा बतायीं गयीं आपकी पहचान, मोबाईल नम्बर एवं समस्त सूचनाएं गोपनीय रखी जावेगी।